Dy. 1611
Dt. 19/2/13

सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

30 आषाढ़, 1934 शकाब्द

संख्या 429

राँची, शनिवार 21 जुलाई, 2012

झारखण्ड राज्य विद्युत नियामक आयोग

अधिसूचना ।

17 जुलाई, 2012

संख्या 41—विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 91 (2) (3) एवं 181 (2) (जेडके) के तहत झारखण्ड राज्य विद्युत नियामक आयोग (अधिकारियों एवं कर्मचारियों की नियुक्ति एवं सेवा शर्तें) नियमावली 2012 ।

अध्याय - 1 - प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ :

(1) यह नियमावली झारखण्ड राज्य विद्युत नियामक आयोग (अधिकारी एवं कर्मचारियों की नियुक्ति एवं सेवा शर्तें) नियमावली 2012 कहलाएगा ।

(2) यह नियमावली झारखण्ड राजपत्र में उनके प्रकाशन के तिथि से प्रभावी होगा ।

(3) यह नियमावली झारखण्ड राज्य में लागू होगा ।

2. विनियम का विस्तार :

यह नियमावली झारखण्ड राज्य विद्युत नियामक आयोग के सचिव सहित, सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों पर लागू होगा ।

3. परिभाषाएँ :

(1) इस नियमावली में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो

(ए) **"अधिनियम"** से अभिप्रेत है विद्युत अधिनियम 2003
(बी) **"केन्द्र सरकार"** से अभिप्रेत है भारत सरकार
(सी) **"राज्य सरकार"** से अभिप्रेत है झारखण्ड सरकार
(डी) **"आयोग"** से अभिप्रेत है झारखण्ड राज्य विद्युत नियामक आयोग
(ई) **"संविधान"** से अभिप्रेत है भारत का संविधान
(एफ) **"अध्यक्ष"** से अभिप्रेत है आयोग का अध्यक्ष
(जी) **"सदस्य"** से अभिप्रेत है आयोग का सदस्य
(एच) **"सचिव"** से अभिप्रेतं हैं आयोग का सचिव
(आई) **"नियुक्ति पदाधिकारी"** से अभिप्रेत है इस नियमावली में दर्शायेनुसार नियुक्त करने वाला,
(जे) **"वर्ष"** से अभिप्रेत है कैलेण्डर वर्ष (01 जनवरी से 31 दिसम्बर तक)
(के) **"वित्तीय वर्ष"** से अभिप्रेत है 01 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक

(2) ऐसे शब्द तथा अभिव्यक्तियाँ जिनका उपयोग इस नियमावली में किया गया है और जो इसमें परिभाषित नहीं हैं, परन्तु अधिनियम में परिभाषित हैं, उनका वही अर्थ होगा जैसा कि अधिनियम में है ।

अध्याय - 2

नियुक्ति एवं सेवा की अन्य शर्त्तें

(4) नियुक्ति का तरीका

(1) आयोग में अधिकारियों एवं कर्मचारियों की भर्ती निम्नलिखित तरीके से होगी :-

(i) सीधी भर्ती से,

(ii) पदोन्नति से,

(iii) संविदा से,

(iv) केन्द्र/राज्य सरकार/सार्वजनिक उपक्रमों/सरकारी स्वायत्त संगठनों से प्रतिनियुक्ति पर,

(v) आयोग में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत व्यक्तियों का आयोग में नियमित रूप से संविलन हेतू विचार नियमावली में लागू नियमों के शर्त्तों पर किया जायगा ।

(2) अधिकारियों/कर्मचारियों की भर्त्ती इस नियमावली में दर्शाये गये तरीकों से किया जायेगा ।

(3) विभिन्न पदों के लिए आवश्यक योग्यता एवं अनुभव इस विनियम के परिशिष्ट में दर्शाये अनुसार होगा ।

(4) सभी भर्त्तियाँ/नियुक्तियाँ, चरित्र एवं पूर्वगामी आचरण के जाँच के शर्त्त पर होगी जैसा कि आयोग/अध्यक्ष द्वारा निर्णित हो ।

(5) चयन समिति का गठन

(1) वर्ग 'अ' एवं 'ब' पदों पर सीधी भर्त्ती/नियुक्ति के लिए एक चयन समिति निम्नानुसार गठित होगी जो की उम्मीदवारों का चयन करने हेतु सिफारिश करेगीः -

(i) आयोग के अध्यक्ष चयन समिति के अध्यक्ष होंगे ।

(ii) आयोग के सदस्य चयन समिति के सदस्य होंगे ।

(iii) राज्य सरकार के सचिव चयन समिति के सदस्य होंगे ।

उपरोक्त तीनों में से कोई एक अनुसूचित जाति/जनजाति के सदस्य होंगे ।

(2) वर्ग 'ग' एवं 'घ' पदों पर सीधी भर्त्ती/नियुक्ति के लिए एक अलग चयन समिति निम्नानुसार गठित होगी जो की उम्मीदवारों का चयन करने हेतु सिफारिश करेगीः -

(i) आयोग के सचिव/वरिष्ठतम अधिकारी समिति के अध्यक्ष होंगे ।

(ii) अध्यक्ष के द्वारा नामित आयोग के एक अन्य अधिकारी इसके सदस्य होंगे ।

(iii) अध्यक्ष के द्वारा नामित किसी अन्य सरकारी कार्यालय/संगठन के एक अधिकारी ।

उपरोक्त तीनों में से कोई एक अनुसूचित जाति/जनजाति के सदस्य होंगे ।

(3) चयन समिति की सिफारिशें अंतिम होंगी जो एक वर्ष के लिए वैध होगी ।

पदों का वर्गीकरण

वर्गीकरण	पे बैण्ड का नाम	पे बैण्ड/वेतनमान	ग्रेड पे
वर्ग 'अ'-	पी0बी0-3	15,600 - 39,100 रूपये	7,600 रूपये
वर्ग 'ब'-	पी0बी0-3	15,600 - 39,100 रूपये	6,600 रूपये
	पी0बी0-2	9,300 - 34,800 रूपये	5,400 रूपये
	पी0बी0-2	9,300 - 34,800 रूपये	4,800 रूपये
	पी0बी0-2	9,300 - 34,800 रूपये	4,200 रूपये
वर्ग 'ग'-	पी0बी0-2	9,300 - 34,800 रूपये	4,200 रूपये
	पी0बी0-1	5,200 - 20,200 रूपये	2,400 रूपये
	पी0बी0-1	5,200 - 20,200 रूपये	1,900 रूपये
वर्ग 'घ'-	पी0बी0-1	5,200 - 20,200 रूपये	1,800 रूपये
	-1एस	4,440 - 7,440 रूपये	1,300 रूपये

6. **आयु सीमाः -**

इस नियमावली में वर्णित पदों पर सीधी भर्त्ती हेतु आयु सीमा राज्य सरकार में लागू नियमानुसार होगी ।

7. **आवेदन :**

सीधी भर्त्ती से भरे जाने वाले पदों की संख्या अध्यक्ष द्वारा निर्धारित की जायेगी और रिक्त पदों को भरने हेतू योग्य उम्मीदवारों के नाम समाचार पत्रों में विज्ञापन या अन्य माध्यम से या नियोजन कार्यालय से प्राप्त की जायेगी ।

8. **प्रमाण पत्र :**

आयोग में किसी भी पद पर सीधी भर्त्ती हेतु उम्मीदवारों को आवेदन-पत्र के साथ निम्नलिखित प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा : -

(1) शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव से संबंधित प्रमाण पत्र ।

(2) प्रथम निंयुक्ति के मामले में उस शैक्षणिक संस्था जहाँ अंतिम बार अध्ययन किया गया हो अथवा उस सरकारी/सार्वजनिक उपक्रम जहाँ पूर्व में सेवा की गई हो, से चरित्र एवं व्यवहार प्रमाण-पत्र ।

(3) आयु प्रमाण-पत्र हेतू विद्यालय/उच्च विद्यालय/उच्चत्तर माध्यमिक विद्यालय का प्रमाण-पत्र/नगरनिगम/नंगरपालिका/अधिसूचित क्षेत्रीय समिति से निर्गत जन्म प्रमाण-पत्र ।

(4) अनुसूचित जातियाँ/अनुसूचित जन-जातियाँ/पिछड़ा वर्ग एवं अन्य आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को राज्य सरकार के नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत किया गया जाति प्रमाण-पत्र ।

9. **आवेदन पत्रों की जाँच :**

आयोग सभी वैध आवेदन पत्रों पर विचार करेगा । साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने वाले योग्य उम्मीदवारों की संख्या का निर्धारण, रिक्त पदों की संख्या को ध्यान में रखकर की जायगी ।

10. **उम्मीदवारों का चयन :**

चयन समिति, सफल उम्मीदवारों के नामों का अनुशंसा, नियुक्ति प्राधिकारी को करेगी ।

11.

12.

11. नियुक्तियाँ/प्रतिनियुक्तियाँ :

(1) सहायक, लेखापाल, रोकड़पाल, सहायक-सह-बेंच क्लर्क (पेशकार), कम्प्यूटर ऑपरेटर-सह-लिपिक, स्टेनोग्राफर-सह-कम्प्यूटर ऑपरेटर, स्वागतक, चालक, आदि पदों को सीधी नियुक्ति द्वारा भरा जायगा। सुरक्षागार्ड (रात - दिन), आदेशपाल एवं सफाई कर्मचारी के स्वीकृत पदों को बाह्य स्त्रोत के द्वारा भरा जायगा।

(2) सचिव, निदेशक, विधि अधिकारी, वित्त लेखा अधिकारी आदि पदों को नियुक्ति/प्रतिनियुक्ति के द्वारा भरा जायगा।

(3) चयन समिति द्वारा सिफारिश की गई योग्यता-क्रम सूची के अनुरूप ही सभी नियुक्तियाँ की जायेगी।

(4) सभी चयनित उम्मीदवारों की नियुक्ति सत्यनिष्ठा की जांच एवं स्वास्थ्य, पदाधिकारी द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र के शर्त्त पर होगा।

12. परिवीक्षा :

(1) सीधी भर्त्ती के द्वारा नियुक्त व्यक्ति, नियुक्ति की तिथि से, अधिकतम दो वर्षों के लिए परिवीक्षा पर रहेंगे।

(2) परिवीक्षा की समयावधि में अधिकारी/कर्मचारी राज्य सरकार के समकक्ष अधिकारियों/ कर्मचारियों को मिलने वाली सुविधा के समान लाभ के हकदार होंगे। लेकिन परिवीक्षा अवधि के दौरान सेवा में अनाधिकृत रूप से अनुपस्थिति, परिवीक्षा की समयावधि में, शामिल नहीं होगी।

(3) यदि आयोग की दृष्टि में सीधी भर्त्ती से नियुक्त कर्मचारी अपनी परिवीक्षा अवधि संतोषजनक रूप से पूर्ण नहीं किया है, तो आयोग परिवीक्षा अवधि को एक वर्ष की अधिकतम अवधि के लिए, एक या एक से अधिक किस्तों में, बढ़ा सकता है। यदि बढ़ाई गई अवधि में भी कार्य आयोग की दृष्टि में संतोषजनक नहीं पाया जाता है, तो आयोग ऐसे अधिकारी/कर्मचारी को सेवा से हटा सकता है।

(4) ऐसे कर्मचारी जो परिवीक्षा अवधि में हैं, की सेवा आयोग एक माह की नोटिस देकर समाप्त कर सकता है।

(5) यदि आयोग में सरकारी/सार्वजनिक उपक्रम/सरकारी स्वायत्त संगठनों से किसी व्यक्ति की नियुक्ति की जाती है, तो वह व्यक्ति, आयोग की सेवा में स्थाई होने तक, पूर्व नियोक्ता में अपना पुनर्ग्रहणाधिकार रख सकेगा ।

13. रिक्तियों का आरक्षण :

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन-जाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अन्य आरक्षित वर्ग के उम्मीद्वारों हेतु पदों के आरक्षण एवं आयु सीमा से संबंधित ढील, राज्य सरकार द्वारा निर्धारित नियम एवं समय-समय पर जारी आदेशों, के अनुसार होंगे ।

14. विद्यमान पदाधिकारी/कर्मचारी

1) आयोग में विद्यमान संविदा/प्रतिनियुक्त/नियमित अधिकारियों/कर्मचारियों को भी पदों को भरने के क्रम में चयन प्रक्रिया में भाग लेने का अवसर प्रदान किया जायगा ।

2) अध्यक्ष, चयन समिति की अनुशंसा पर, विद्यमान अधिकारियों/कर्मचारियों के संविलन के लिए विचार कर सकते हैं, यदि वे निर्धारित शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव, जो इस नियमावली में वर्णित है, रखते हों ।

15. वरीयता

किसी भी संवर्ग में, अधिकारियों/कर्मचारियों की वरीयता की गणना, उनके उस संवर्ग में नियुक्ति की तिथि से मानी जायगी ।

16. गोपनीय प्रतिवेदन

अध्यक्ष, सभी अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए, प्रतिवेदन देने, समीक्षा करने एवं स्वीकृत करने हेतु, प्राधिकारियों का निर्धारण करेंगे । अधिकारियों/कर्मचारियों का वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन मोटे तौर पर इस संबंध में केन्द्र/राज्य सरकार/पैत्रिक विभाग के प्रावधानों के अनुरूप विहित प्रपत्र में लिखा जायगा ।

17. प्रोन्नति :

1) सामान्यतः सभी प्रोन्नतियाँ पिछले 5 वर्षों की गोपनीय चरित्रावलियों में प्रतिबिम्बित कार्यों की गुणवत्ता के आधार पर होगी । प्रोन्नति हेतु उम्मीद्वारों का चयन सूची, इस नियमावली में वर्णित, चयन समिति के द्वारा बनाई जायेगी ।

2) प्रोन्नति हेतु कालावधि का निर्धारण राज्य सरकार द्वारा निर्गत नियमों/परिपत्रों के द्वारा नियंत्रित होगा ।

3) प्रोन्नति का पद सोपान, आयोग में पूर्ण कार्यबल की स्वीकृति के उपरान्त अध्यक्ष द्वारा तय किया जायगा ।

18. अनुशासनिक/विभागीय कार्रवाई

विभागीय कार्रवाई का संचालन एवं दण्डों का अधिरोपन, राज्य सरकार के द्वारा निर्धारित नियम, जो लागू हो, के अनुसार होगा । प्रतिनियुक्त व्यक्तियों के लिए, अनुशासनिक प्राधिकारी, पैत्रिक संगठन में विहित प्राधिकारी होंगे । प्रतिनियुक्ति स्वीकृति प्राधिकारी, आवश्यकतानुसार, विभागीय कार्रवाई से संबंधित मामलों को, पैत्रिक विभाग के अनुशासनिक प्राधिकारी को भेजेंगे । आयोग के अधिकारियों/कर्मचारियों के नियुक्तिकर्त्ता अधिकारी, अनुशासनात्मक अधिकारी, अपीलीय अधिकारी एवं पुनर्विचार अधिकारी निम्नलिखित होंगेः –

विवरण	वर्ग 'अ' एवं 'ब'	वर्ग 'ग' एवं 'घ'
(1) नियुक्ति प्राधिकारी	अध्यक्ष	सचिव
(2) अनुशासनिक प्राधिकारी	अध्यक्ष	सचिव
(3) अपीलीय प्राधिकारी	आयोग	अध्यक्ष
(4) समीक्षा प्राधिकारी	आयोग	आयोग

19. प्रशिक्षण :

(1) सभी अधिकारियों/कर्मचारियों को आयोग द्वारा निर्धारित आंतरिक एवं ऐसे बाह्य प्रशिक्षण कार्यक्रमों या उन्नयन पाठ्यक्रमों में भाग लेना होगा जो आयोग द्वारा निश्चित किया जायगा ।

(2) प्रशिक्षण/उन्नयन पाठ्यक्रमों में भाग लेने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों को, प्रशिक्षण या पाठ्यक्रम पूर्ण होने के पश्चात् आयोग में सेवा देने हेतु अनुबंध करना होगा । एक माह के प्रशिक्षण के लिए 12 माह तक की अवधि का अनुबंध होगा । यह अनुबंध दो वर्ष से अधिक का नहीं होगा । आयोग में नियत अवधि तक सेवा नहीं करने पर अधिकारियों/कर्मचारियों के प्रशिक्षण पर होने वाले व्यय के साथ इस अवधि की परिलब्धियाँ आयोग को लौटाना पड़ेगा ।

(3) प्रशिक्षण के अवधि में दुराचरण/दुर्व्यवहार के आरोपित अधिकारियों/ कर्मचारियों को प्रशिक्षण से वापस बुला लिया जायगा एवं उचित

अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारम्भ किया जा सकता है । आयोग निर्णय लेता है तो उन्हें प्रशिक्षण पर किए गए व्यय वापस करना होगा ।

20. सेवानिवृति :

अधिकारी/कर्मचारी अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर, राज्य सरकार के विद्यमान नियमों के अनुसार, आयोग की सेवा से सेवानिवृत होंगे ।

21. अन्य सेवाशर्त्तों का विनिर्देश

आयोग के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए अन्य सेवा शर्त्तें, जिसके लिए कोई प्रावधान विनिर्देशित नहीं है, का विनियमन, राज्य सरकार के समकक्ष अधिकारी/कर्मचारी, जो तत्समान वेतन प्राप्त करते हों, के लिए समय-समय पर, लागू नियमों के अनुरूप होगा । सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना (ए0सी0पी0) एवं अन्य सेवा लाभ इस संबंध में राज्य सरकार के द्वारा निर्गत नियमों के अनुरूप लागू होंगे ।

अध्याय - 3

पदों की संख्या एवं वर्गीकरण

22. अधिकारियों और कर्मचारियों की संख्या एवं उनका वर्गीकरण

(1) अध्यक्ष, सरकार की सहमति से, समय - समय पर इस विनियम में दर्शित अधिकारियों एवं कर्मचारियों की संख्या में परिवर्तन, बढ़ाना, घटाना या समाप्त कर सकते हैं एवं पंदों को पुनः वर्गीकृत कर सकते हैं ।

(2) पदों की संख़्या एवं वर्गीकरण परिशिष्ट के अनुरूप होंगे ।

अध्याय - 4

नियोजन

23. अधिकारियों/कर्मचारियों का नियोजन

(1) एक अधिकारी/कर्मचारी को उसके श्रेणी/वर्ग के अनुसार उसकी योग्यता एवं उपयोगिता को देखते हुए आवश्यकता पड़ने पर अन्य किसी पद पर भी नियोजित किया जा सकता है ।

(2) आयोग को आवश्यकता पड़ने पर किसी अधिकारी/कर्मचारी को एक से ज्यादा पदों की जिम्मेदारी दी जा सकती है ।

अध्याय - 5

पारिश्रमिक एवं अन्य लाभ

24. वेतनमान :

(1) अधिकारियों/कर्मचारियों का स्वीकृत वेतनमान परिशिष्ट में दर्शाये अनुसार होगा ।

(2) तृतीय एवं चतुर्थ वर्ग के पदों पर संविदा के तहत रखे गए व्यक्तियों को भुगतान, राज्य सरकार के द्वारा, समय-समय पर, निर्धारित दर के अनुरूप किया जाएगा ।

(3) आयोग के अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन का पुनरीक्षण, राज्य सरकार में तत्समान वर्ग/वेतनमान के अधिकारियों/कर्मचारियों के बराबर होगा ।

(4) आयोग में नियमित स्थापना के अधिकारी/कर्मचारी, जो निर्धारित गृह-भाड़ा भत्ता, वाहन भत्ता तथा चिकित्सा भत्ता आदि के पात्रता रखते हों, को राज्य सरकार के अनुरूप देय होगा ।

(5) आयोग के अधिकारियों/कर्मचारियों को, राज्य सरकार के अधिकारियों/ कर्मचारियों के समान, ब्याज सहित/ब्याज मुक्त ऐसे अग्रिम प्राप्त करने का हक होगा जो राज्य सरकार द्वारा प्रावधानित किया जायगा ।

(6) आयोग द्वारा, केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/सार्वजनिक उपक्रमों/सरकारी स्वायत्त संगठनों से प्रतिनियुक्ति पर लिए गए अधिकारियों/कर्मचारियों के प्रतिनियुक्ति भत्तों का निर्णय राज्य सरकार के नियमों के अनुरूप किया जायगा ।

25. सेवानिवृति/अधिवर्षिता/अन्य लाभ :

(1) राज्य सरकार के नियमानुसार आयोग के अधिकारियों/कर्मचारियों को, ऐसे सेवानिवृति/अधिवर्षिता/अन्य लाभ प्राप्त करने की पात्रता होगी ।

(2) आयोग में, राज्य सरकार/केन्द्र सरकार/अन्य राज्य सरकार/सार्वजनिक उपक्रमों से संविलियन किये गये अधिकारियों/कर्मचारियों के, सेवानिवृति एवं अन्य लाभ, उनके द्वारा, आयोग में योगदान के पूर्व, उन सरकारी/ सार्वजनिक उपक्रमों में दिए गए पेंशन सेवाओं पर प्रदान किए जाने वाले पेंशन एवं अन्य सेवानिवृत्ति लाभों के साथ, आयोग में योगदान के उपरान्त

किए गए सेवा को ध्यान में रखकर किया जायगा । पेंशन एवं अन्य सेवा निवृति लाभ के गणना के लिए वैसे अधिकारियों/कर्मचारियों का, पूर्व नियोक्ता को दिए गए सेवाकाल को, आयोग में दिया गया सेवाकाल माना जायगा ।

(3) अधिकारियों/कर्मचारियों के द्वारा, पूर्व नियोक्ता को दिए गए सेवाकाल को, सभी सेवालाभ हेतू, आयोग में लगातार सेवा माना जायगा ।

(4) आयोग में कार्यरत्त अधिकारियों/कर्मचारियों को उत्कृष्ट कार्यों के लिए मानदेय (Honorarium) देय होगा । इसका निर्धारण सचिव की अनुशंसा पर अध्यक्ष करेंगे ।

अध्याय - 6

विविध

26. संविदा सेवा

यदि आयोग को अत्यावश्यक हो तो उसके लिए उपयुक्त लिखित कारणों के अध्यधीन आयोग में कोई भी पद संविदा के आधार पर अस्थायी रूप से भरा जा सकता है जो सामान्यतः एक समय में एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए नहीं होंगी और जो अधिकतम 3 वर्षों की अवधि के लिए होगी ।

27. सरकारी नियम, नियमावली आदि का विस्तारीकरण

निम्नलिखित मामलों में, आयोग द्वारा, समय-समय पर, इस नियमावली का संशोधन, राज्य सरकार के द्वारा, समय-समय पर, निर्गत नियमों, विनियमों, आदेशों, अनुदेशों को समाविष्ट करने हेतू, किया जा सकता है : -

क) स्वास्थ्य उपयुक्तता

ख) छुट्टी

ग) स्थानीय भत्ता जैसे बाल शिक्षा भत्ता, शिक्षा शुल्क, धुलाई भत्ता आदि ।

घ) यात्रा-भत्ता

ड.) कार्यारम्भ काल और कार्यारम्भ काल वेतन

च) ऋण एवं अग्रिम

छ) छुट्टी का वेतन भुगतान एवं पेंशन अंशदान

ज) भविष्य निधि

झ) आचरण, अनुशासन, निलंबन, अपील एवं समीक्षा

ट) आयोग के अधिकारियों/कर्मचारियों का भारत एवं विदेशों के दूसरे संस्थानों में प्रतिनियुक्ति

ठ) अधिवर्षिता अथवा सेवानिवृति के उपरान्त संविदा पर पुर्न-नियोजन

ड) सेवा समाप्ति

ढ) त्याग-पत्र

ण) नियुक्ति के लिए योग्यता हेतू भारतीय नागरिकता की शर्त

त) कार्यावधि एवं छुट्टियाँ

थ) अन्य सुविधा/भत्ता

28. कठिनाईयों को दूर करने का अधिकार

यदि इस नियमावली के प्रावधानो को लागू करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो आयोग, सामान्य या विशेष आदेश निर्गत कर, वैसा कोई भी कार्य कर सकता है जो कि अधिनियम के प्रावधानों से असंगत न हो या जो कठिनाई दूर करने के लिए आवश्यक या समीचीन प्रतीत होता हो ।

29. व्याख्या :

यदि इस नियमावली के किसी भी प्रावधानों को लागू या व्याख्या करने के संबंध में कोई प्रश्न उद्भूत होता है तो अध्यक्ष द्वारा निर्णय लिया जा सकेगा और अध्यक्ष का निर्णय अंतिम एंव बाध्य होगा । विनियमों को कार्यान्वित करने में किसी भी तरह की कठिनाईयों को दूर करने का अधिकार अध्यक्ष को होगा ।

30. सेवाशर्त्तों के नियमों की अनुकुलता

1) आयोग के अधिकारियों/कर्मचारियों की सेवाशर्त्तों के लिए नियमावली में कोई स्पष्ट उपबंध नहीं किया गया है तो उक्त परिस्थिति में राज्य सरकार सेवा के समान वेतन पानेवाले पदाधिकारीयों/कर्मचारियों के लिए सेवाशर्त्तों से निर्देशित होगा । यदि इस नियमावली के प्रावधानों और राज्य सरकार की अन्य किसी नियमावली के प्रावधानों में भिन्नता हो तो वैसी परिस्थिति में इस नियमावली के प्रावधान लागू होंगे ।

आयोग के आदेशानूसार

एस० भोय,

प्रभारी सचिव ।

परिशिष्ट

स्वीकृत पदों के लिए योग्यता एवं अनुभव

क्र. सं.	पदनाम/ वेतनमान/ वर्ग/ पदों की संख्या	आवश्यक योग्यता एवं अनुभव	अतिरिक्त योग्यता/अनुभव
01	वर्ग 'अ' सचिव पी०बी०-3 पे बैंड रू० 15,600-39,100/- ग्रेड पे रू0 7,600/- एक पद	क/ मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक डिग्री । ख/ केन्द्र/राज्य सरकार के संगठनों के प्रबंधन/मानव संसाधन/वित्त/विद्युत एवं/या विधि संबंधी समस्यायों में कार्य करने का 10 वर्षों का अनुभव । ग/ अनुरूप पद पर 5 वर्षों का अनुभव । घ/ उपभोक्ता संबंधी जटील समस्याओं के निराकरण करने की सामर्थता । ड./ जनसम्पर्क, कर्मचारी, बजट, योजना एवं अदालती मामलों के प्रबंधन का अनुभव । च/ अन्तरवैयक्तिक संबंध, लेखन एवं बोलचाल (हिन्दी एवं अंग्रेजी, दोनों भाषाओं में) विशिष्ट दक्षता । छ/ कम्प्यूटर साक्षरता ।	क/ सचिवालय के कार्य के साथ-साथ हिन्दी एवं अंग्रेजी टिप्पणी एवं प्रारूपण आदि का ज्ञान एवं अनुभव । ख/ संगठनात्मक दक्षता के साथ कार्यक्रमों के प्रबंधन एवं संचालन का ज्ञान एवं अनुभव । ग/ ऊर्जा क्षेत्र के नियामक या अन्य किसी विनियमित संस्थाओं में कार्य का ज्ञान एवं अनुभव ।
02	वर्ग 'अ' निदेशक पी०बी०-3 पे बैंड रू० 15,600-39,100/- ग्रेड पे रू0 7,600/- एक पद	क/ मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र/ एम0बी0ए0/विद्युत/ऊर्जा अभियंत्रण का डिग्री । ख/ अनुरूप पदों पर 10 वर्षों का अनुभव ।	क/ विद्युत उपयोगिता के क्षेत्र में टैरिफ मॉड्यूल विकसित करने एवं वाणिज्य विश्लेषण एवं कुशलता का व्यवसायिक अनुभव । ख/ वृहत सार्वजनिक उपयोगिता क्षेत्र में विद्युत उत्पादन, वितरण एवं पारेषण संबंधी व्यवसायिक अनुभव के साथ विद्युत दर विकसित करने का अनुभव । ग/ केन्द्र/राज्य सरकार के संगठनों के प्रशासनिक एवं स्थापना संबंधी मामलों को संभालने का अनुभव । घ/ बैठकों एवं संबंधित मामलों को व्यवस्थापित करने का अनुभव ।
03	वर्ग 'ब' विधि अधिकारी पी०बी०-3 पे बैंड रू० 15,600-39,100/- ग्रेड पे रू0 6,600/- एक पद	क/ मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विधि में स्नातक की उपाधि । ख/ अनुरूप पदों पर 10 वर्षों का अनुभव । ग/ वकालत करने की पात्रता । घ/ कम से कम 5 वर्षों का व्यवसायिक अनुभव । ड/ अच्छे लेखन एवं बोलचाल का अनुभव ।	क/ ऊर्जा के क्षेत्र में ज्ञान एवं/या अनुभव । ख/ विनियामक नियमों की अथवा किसी यूटीलीटी का अनुभव । ग/ कम्प्यूटर साक्षरता ।

04	वर्ग 'ब' वित्त लेखाधिकारी पी०बी०-2 पे बैंड रू० 9,300-34,800/- ग्रेड पे रू0 5,400/- एक पद	क/ मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से वाणिज्य में स्नातक की उपाधि । ख/ राज्य लेखा, कोषागार संचालन, अंकेक्षण, बजट, वेतनपंजी एवं बही-खाता संबंधित कार्यों में 10 वर्षों का अनुभव ।	क/ वाणिज़्य/सरकारी लेखा/लागत लेखा में अनुभव । ख/ केन्द्र/राज्य सरकार के संगठनों में एस0ए0एस0/सी0ए0/एस0ओ0जी0ई0 परीक्षा पास नियमित रूप से 5 वर्षों तक कार्यरत । ग/ अच्छे लेखन एवं बोलचाल का अनुभव ।
05	वर्ग 'ग' सहायक, लेखापाल, रोकड़पाल, सहायक-सह-बेंच क्लर्क (पेशकार) पी०बी०-2 पे बैंड रू० 9,300-34,800/- ग्रेड पे रू0 4,200/- छह पद	क/ मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में स्नातक की उपाधि । ख/ हिन्दी/अंग्रेजी टंकण परीक्षा उत्तीर्ण ।	क/ अच्छे लेखन एवं बोलचाल में दक्षता । ख/ कम्प्यूटर साक्षरता । ग/ सरकारी संगठनों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में रोकड़ एवं लेखा संधारण का अनुभव ।
06	वर्ग 'ग' कम्प्यूटर आपरेटर-सह-लिपिक पी०बी०-1 पे बैंड रू० 5,200-20,200/- ग्रेड पे रू0 2,400/- दो पद	क/ मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में स्नातक की उपाधि । ख/ मान्यता प्राप्त किसी भी संस्था से कम्प्यूटर में डिप्लोमा ।	क/ अच्छे लेखन एवं बोलचाल में दक्षता । ख/ कम्प्यूटर हार्डवेयर, नेटवर्किंग, वेबसाईट में अच्छा ज्ञान रखने वाले एवं अंग्रेजी टंकण परीक्षा उत्तीर्ण को प्राथमिकता दी जायगी ।

07	वर्ग 'ग' स्टेनोग्राफर-सह-कम्प्यूटर आपरेटर पी०बी०-1 पे बैंड रू० 5,200-20,200/- ग्रेड पे रू0 2,400/- तीन पद	क/ मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में स्नातक की उपाधि । ख/ मान्यता प्राप्त बोर्ड/संस्था से हिन्दी/अंग्रेजी आशुलिपि एवं टंकण का प्रमाण-पत्र । ग/ कम्प्यूटर पर कार्य करने का ज्ञान एवं अनुभव ।	क/ अंग्रेजी आशुलिपि में 80 श0प्र0मि0 और हिन्दी/अंग्रेजी टंकण में क्रमशः 25/35 श0प्र0मि0 से कम का गति, नहीं होना चाहिए । ख/ द्विभाषीय आशुलिपि एवं टंकण जानने वाले व्यक्ति को प्राथमिकता दी जायगी ।
08	वर्ग 'ग' स्वागतक पी०बी०-1 पे बैंड रू० 5,200-20,200/- ग्रेड पे रू0 2,400/- एक पद	क/ मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में स्नातक की उपाधि । ख/ कम्प्यूटर पर कार्य करने का ज्ञान एवं अनुभव ।	क/ अच्छे लेखन एवं बोलचाल में दक्षता । ख/ कम्प्यूटर हार्डवेयर, नेटवर्किंग एवं वेबसाईट में अच्छा ज्ञान रखने वाले एवं अंग्रेजी टंकण परीक्षा उत्तीर्ण व्यक्ति को प्राथमिकता दी जायगी ।
09	वर्ग 'ग' चालक पी०बी०-1 पे बैंड रू० 5,200-20,200/- ग्रेड पे रू0 1,900/- पाँच पद	क/ मान्यता प्राप्त विद्यालय/बोर्ड से आठवाँ उत्तीर्ण । ख/ हल्के वाहन चलाने का पाँच वर्ष पुराना ड्राईविंग लाईसेंस होना चाहिए ।	कम से कम दो वर्षों का वाहन चलाने का अनुभव ।
10	वर्ग 'घ' सुरक्षा गार्ड (रात-दिन), आदेशपाल एवं सफाई कर्मचारी (बाह्य स्त्रोत) ग्यारह पद	मान्यता प्राप्त विद्यालय/बोर्ड से आठवाँ उत्तीर्ण ।	किसी भी प्रतिष्ठान में सुरक्षा गार्ड (रात-दिन), आदेशपाल एवं सफाई कर्मचारी के काम करने का अनुभव ।

....

अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 429--150+5 ।